बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

दिनांक–18.08.2017 को माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन समूह (CMG) की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति :–यथा संलग्न।

बैठक में वर्तमान समय में उत्तर बिहार के 17 जिलों में आयी बाढ़ के मद्देनजर बचाव एवं राहत कार्य की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बाढ़ की वर्तमान स्थिति तथा किये जा रहे बचाव एवं राहत कार्यों के संबंध में एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया गया।

2. माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा पूरी तरह से पानी से घिरे आबादी के बीच सघन Air dropping कर सूखा राशन वितरित करने का निदेश दिया गया। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि कोशी आपदा में चलाये गये राहत शिविर के तर्ज पर वर्तमान में प्रभावित व्यक्तियों के लिए Mega राहत शिविर स्थापित किये जाएँ एवं उसमें रह रहे शरणार्थियों को बर्तन एव कपड़े की आपूर्त्ति की जाय, इस पर होनेवाले व्यय का वहन मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जायेगा ।

3. बैठक में उपस्थित प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग एवं सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पथांशों में संपर्कता भंग की स्थिति को यथासंभव मरम्मति कर अतिशीघ्र आवागमन बहाल किया जाय। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ सेना से संपर्क स्थापित करके Bailey Bridge प्राप्त कर उसके माध्यम से संपर्कता बहाल किया जाय।

4. सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित इलाके में अवस्थित चापाकलों को Dis-infect किया जाय,ताकि उसका जल पीने लायक शुद्ध हो सके।

5. बैठक में प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सूचना दी गई कि बाढ़ प्रभावित सभी क्षेत्रों में पर्याप्त दवा का भंडारण एवं वितरण किया जा रहा है। विशेषकर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सर्प–दंश से उपचार दवा उपलब्ध करायी गई है। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति की गई है। कई प्रभावित इलाकों में बोट एम्बुलेंस भी चलाये जा रहे हैं।

6. सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा बैठक में सूचना दी गई कि उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित इलाकों में पदस्थापित/ प्रतिनियुक्त सभी पशु चिकित्सक अपने कार्य पर लगे हैं तथा पशुओं का उपचार एवं टीकाकरण की कार्रवाई की जा रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि पर्याप्त मात्रा में पशुओं के लिए चारा आदि की व्यवस्था की जा चुकी है।

7. बैठक में प्रधान सचिव, कृषि को निदेश दिया गया कि वे अपने स्तर से बाढ़ प्रभावित इलाकों में सर्वेक्षण कराकर वहाँ हुई क्षति का आकलन करा लें तथा तदनुरूप मुआवजे के लिए अग्रतर कार्रवाई किया जाय।

8. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग को निदेश दिया गया कि वे लगातार तटबंधों की सुरक्षा का अनुश्रवण करते रहे तथा आवश्यकतानुसार मुख्यालय से भी अभियंताओं को प्रतिनियुक्त कर तटबंधों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि नदियों के जलस्तर पर लगातार नज़र बनाये रखें तथा उससे उत्पन्न होनेवाली स्थिति के संबंध मे सभी संबंधित विभागों को यथाशीघ्र अवगत कराते रहें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07 / 2014 (खण्ड–II) 2671 / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 31/8/17

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग / लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग / कृषि विभाग / स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1प्रा0आ0–07 / 2014 (खण्ड–II) 2671 / आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 31/8/17

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव / माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव